संख्या जी–1–269 / दस–2012–206–2002

प्रेषक,

श्री आनन्द मिश्र,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

समस्त विभागाध्यक्ष / प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष,
उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग–1 लखनऊ : दिनांक 12 नवम्बर, 2012

विषयः शिक्षा संबंधी सहायता दिए जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या–जी–1–639 / दस–2002– 206 / 2002 दिनांक 02 नवम्बर,2002 में उल्लिखित शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन राजकीय कर्मचारियों को दो बच्चों तक के शिक्षण शुल्क संबंधी शैक्षिक सहायता की सुविधा हेतु वेतन की सीमा रू0 3200 प्रतिमाह निर्धारित करते हुए सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु रू0 150 / – प्रतिमाह प्रति बच्चा की दर निर्धारित की गई थी।

2– इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वेतन समिति (2008) के सोलहवें प्रतिवेदन में की गई संस्तुतियों पर लिए गए निर्णय के परिप्रेक्ष्य में राज्यपाल महोदय राजकीय विभागों के कार्मिकों को शिक्षा संबंधी संहायता एवं सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति निम्नवत् अनुमन्य कराये जाने पर सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:–

(1)– दिनॉक 01–1–2006 से लागू पुनरीक्षित वेतनमान में ग्रेड वेतन रू0–2000 / – प्रतिमाह तक के पद पर तैनात राजकीय विभागों के कार्मिकों को उक्त शासनादेश दिनॉक 02 नवम्बर, 2002 की शर्तों / प्रतिबन्धों के अधीन शिक्षा संबंधी सहायता अनुमन्य की जाती है।

(2)– सरकारी कर्मचारियों के विकलांग बच्चों के शिक्षण शुल्क की प्रतिपूर्ति हेतु उक्त शासनादेश दिनॉक 02 नवम्बर, 2002 में अनुमन्य रू0 150 / – प्रतिमाह प्रति बच्चा की दर को पूर्व निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रू0–300 प्रतिमाह प्रति बच्चा तक अनुमन्य किया जाता है।

3— शासनादेश संख्या—जी—1—639/दस- 2002— 206/2002 दिनांक 02 नवम्बर, 2002 में अंकित अन्य शर्तें/प्रतिबन्ध यथावत् लागू रहेंगे।

4— उक्त संशोधित दरें दिनॉक 01 नवम्बर, 2012 से प्रभावी होंगी।

भवदीय,

आनन्द मिश्र
प्रमुख सचिव।

संख्या— जी—1—269(1)/दस—2012—206/2002 तद्दिनॉक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

(1)— महालेखाकार, प्रथम/द्वितीय/तृतीय, उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद।
(2)— प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद्, उत्तर प्रदेश।
(3)— समस्त प्रमुख सचिव/सचिव/विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
(4) श्री राज्यपाल के सचिव।
(5)— निदेशक, वित्तीय एवं प्रबन्ध, प्रशिक्षण शोध संस्थान, लखनऊ।
(6) वित्त (वेतन आयोग) अनुभाग—2
(7) सचिवालय प्रशासन (अधिष्ठान) अनुभाग—2
(8)— उ0प्र0 सचिवालय के समस्त अनुभाग।
(9)— समस्त मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, उत्तर प्रदेश।

आज्ञा से,

(बी0 के0 सिंह)
विशेष सचिव।